

प्रेस नोट
थाना बबीना

दिनांक 31.03.2024

गैगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को थाना बबीना पुलिस द्वारा
गिरफ्तार किया गया

आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत वाछिंत/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर गठित टीम द्वारा आज दिनांक 31.03.24 को रसीना रोड पर कोटी सन्तपुर जाने वाले रास्ते से मु0अ0सं0 103/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में वाछिंत अभियुक्त छोटू राजपूत पुत्र हरवान राजपूत निवासी ग्राम लहर थाना बबीना जिला झाँसी उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

1. श्री अरुण कुमार तिवारी थानाध्यक्ष थाना बबीना जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा थाना बबीना
3. का0 839 कृष्ण मुरारी थाना बबीना